रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2002/भाद्र 13, 1924
No. 230] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2002/BHADRA 13, 1924

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2002

सं. पी-45018/28/2000-सीसी.—कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के विचार से भारत सरकार कुछ समय से देश में एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति के विषय में जांच करती रही है। पेट्रोल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों में यथा अनुमत पेट्रोल के साथ 5 प्रतिशत एथेनोल का मिश्रण करने के वित्तीय एवं प्रचालनीय पहलुओं का पता लगाने के लिए सरकार ने अप्रैल तथा जून, 2002 के दौरान तीन प्रायोगिक परियोजनाएं,—महाराष्ट्र में दो तथा उत्तर प्रदेश में एक, आरंभ की थीं और ये प्रायोगिक परियोजनाएं तब से केवल अपने-अपने आपूर्ति क्षेत्रों के तहत खुदरा बिक्री केन्द्रों को 5 प्रतिशत एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति करती रहीं हैं। प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से उक्त क्षेत्रगत परीक्षणों के अलावा अनुसंधान एवं विकास अध्ययन भी साथ-साथ आरंभ किए गए थे। प्रायोगिक परियोजनाएं तथा अनुसंधान एवं विकास अध्ययन दोनों ही सफल रहे हैं और इन्होंने पेट्रोल के साथ 5 प्रतिशत तक एथेनोल के मिश्रण तथा वाहनों में एथेनोल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल को प्रमाणित किया है।

प्रमुख गन्ना उत्पादन करने वाले राज्यों की सरकारों समेत अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ चर्चायें की गई थीं। जहां भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माता सोसायटी (एसआईएएम) ने वाहनों में 5 प्रतिशत एथेनोल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल के लिए स्वीकृति की अभिपुष्टि की है, वहीं प्रमुख गन्ना उत्पादन करने वाले राज्यों की सरकारों तथा चीनी/आसवनी उद्योगों के प्रतिनिधियों ने एथेनोल उत्पादन करने की सुलभता/क्षमता की अभिपुष्टि की है।

सरकार ने रिफाइनरियों में ईटीबीई के उपयोग सहित पेट्रोल में एथेनोल के मिश्रण के विभिन्न विकल्पों की जांच करने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र के कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है। संभारतंत्रीय और वित्तीय लाभों पर विचार करते हुए इस दल ने तेल कम्पनियों के आपूर्ति स्थानों (टर्मिनलों/डिपुओं) पर पेट्रोल में एथेनोल के मिश्रण की सिफारिश की है।

सरकार ने उपर्युक्त को देखते हुए अब यह संकल्प लिया है कि 1-1-2003 से निम्न नौ राज्यों और चार संसक्त संघ राज्य क्षेत्रों में एथेनोल-मिश्रित-पेट्रोल की आपूर्ति की जाएगी :

राज्य	संघ राज्य क्षेत्र
1. आन्ध्र प्रदेश	1. दमन और दीव
2. गोआ	2. दादरा और नागर हवेली
3. गुजरात	3. चंडीगढ़
4. हरियाणा	4. पांडिचेरी

5. कर्नाटक

6. महाराष्ट्र

7. पंजाब

8. तमिलनाडु

9. उत्तर प्रदेश

सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा की गई एथेनोल-मिश्रित-पेट्रोल की आपूर्ति से संबंधित राजकोषीय रियायत उपभोक्ताओं को अन्तरित की जाएगी।

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd September, 2002

No. P-45018/28/2000-CC.—With a view to give boost to agriculture sector and reduce environmental pollution, Government of India have been examining for quite some time supply of ethanol-doped-petrol in the country. In order to ascertain financial and operational aspects of blending 5% ethanol with petrol as allowed in the specifications of Bureau of Indian Standards for petrol, Government had launched three pilot projects; two in Maharashtra and one in Uttar Pradesh during April and June, 2001 and these pilot projects have been supplying 5% ethanol-doped-petrol only to the retail outlets under their respective supply areas since than. Apart from the aforesaid field trails through pilot projects, R&D studies also were undertaken simultaneously. Both pilot projects and R&D studies have been successful and established blending of ethanol upto 5% with petrol and usage of ethanol-doped-petrol in vehicles.

Discussions were held with concerned agencies including the Governments of major sugar producing States. While the Society for Indian Automobile Manufacturers (SIAM) has confirmed the acceptance for use of 5% ethanol-doped-petrol in vehicles, State Governments of major sugar producing States and the representatives of sugar/distillery industries have confirmed availability/capacity to produce ethanol.

Government have set up an Expert Group headed by the Executive Director of the Centre for High Technology for examining various options of blending ethanol with petrol including use of ETBE in refineries. Considering the logistical and financial advantages, this Group has recommended blending of ethanol with petrol at supply locations (terminals/depots) of oil companies.

In view of the above, Government have now resolved that with effect from 1-1-2003, 5% ethanol-doped-petrol will be supplied in the following nine States and four contiguous Union Territories :

States

1. Andhra Pradesh
2. Goa
3. Gujarat
4. Haryana
5. Karnataka
6. Maharashtra
7. Punjab
8. Tamil Nadu
9. Uttar Pradesh

Union Territories

1. Damman and Diu
2. Dadra and Nagar Haveli
3. Chandigarh
4. Pondicherry

Government have also decided that any fiscal concession by the Central Government/State Government relating to supply of ethanol-doped-petrol shall be passed on to the consumers.

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2002/भाद्र 22, 1924

No. 423] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2002/BHADRA 22, 1924

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2002

सा.का.नि. 644 (अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीज़ल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 1998 के खण्ड 3 (च) के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशित करती है कि निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश सं० 2796 के अनुसार केवल पांच प्रतिशत इथानोल संमिश्रित पैट्रोल का पहली जनवरी, 2003 से विक्रय किया जाएगा, अर्थात् :—

राज्य	संघ राज्य क्षेत्र
1. आन्ध्र प्रदेश	1. दमन दीव
2. गोवा	2. दादरा और नागर हवेली
3. गुजरात	3. चण्डीगढ़
4. हरियाणा	4. पाण्डिचेरी
5. कर्नाटक	
6. महाराष्ट्र	
7. पंजाब	
8. तमिलनाडु	
9. उत्तर प्रदेश	

[फा. सं. पी-45018/28/2000-सी.सी.]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2002

G.S.R. 644(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with clause 3 (F) of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998, the Central Government hereby directs that in the following States and Union Territories only 5 % ethanol blended petrol, as per Bureau of Indian Standards specification No. 2796 shall be sold from the first January 2003, namely :—

States	Union Territories
1. Andhra Pradesh	1. Daman Diu
2. Goa	2. Dadra and Nagar Haveli
3. Gujarat	3. Chandigarh
4. Haryana	4. Pondicherry
5. Karnataka	
6. Maharashtra	
7. Punjab	
8. Tamil Nadu	
9. Uttar Pradesh	

[F. No. P-45018/28/2000-CC]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

2877 GI/2002

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 2004/पौष 19, 1925

No. 34] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 2004/PAUSA 19, 1925

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2004

का.आ. 39(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 1998 के खंड 3च के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आन्ध्र प्रदेश राज्य में कुडुप्पा, कुरनूल, अनंतपुर, नेल्लौर, नलगोंडा, महबूब नगर, हैदराबाद, आदिलाबाद, निजामाबाद, वारंगल, करीम नगर, रंगारेड्डी, मेडक, तमिलनाडु में और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में, उक्त राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में आने वाले संपूर्ण क्षेत्र में 1 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2004 तक चरणबद्ध रीति में केवल पांच प्रतिशत इथानोल समिश्रित पेट्रोल के विक्रय की अनुज्ञा देती है।

[फा. सं. पी.-45018/28/2002-सीसी]

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2004

S.O. 39(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), read with clause 3F of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998, the Central Government hereby permits the sale of only five per cent ethanol-blended petrol in Chittoor, Cuddapah, Kurnool, Anantapur, Nellore, Nalgonda, Mahaboobnagar, Hyderabad, Adilabad, Nizamabad, Warangal, Karimnagar, Ranga Reddy, Medak districts of the State of Andhra Pradesh, in Tamil Nadu and the Union territory of Podicherry, covering the entire area of the said States and the Union territory in phased manner with effect from the 1st day of January, 2004 till the 31st day of January, 2004.

[F. No. P-45018/28/2002-CC]

A. K. Srivastava, Jt. Secy.

GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2002/पौष 6, 1924

No. 588] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2002/PAUSA 6, 1924

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2002

सा.का. नि. 843(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 1998 के खंड 3 (च) के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 644(अ) तारीख 12 सितम्बर, 2002 का, जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 13 सितम्बर, 2002 में प्रकाशित की गई थी, आंशिक संशोधन करते हुए, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश राज्यों में केवल 5% इथानोल संमिश्रित पेट्रोल के विक्रय को 1 जनवरी, 2003 से चरणबद्ध रीति में आरंभ करने की और 30 जून, 2002 तक उक्त राज्यों के सम्पूर्ण क्षेत्रों को इसके विक्रय के अन्तर्गत लाने की अनुज्ञा देती है।

केन्द्रीय सरकार, यह और अनुज्ञा देती है कि सम्पूर्ण तमिलनाडु, गोवा, हरियाणा, गुजरात और कर्नाटक राज्यों तथा चण्डीगढ़, पांडिचेरी, दमण और दीव तथा दादरा नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र को, 30 जून, 2003 तक, केवल 5% इथानोल संमिश्रित पेट्रोल के विक्रय के अन्तर्गत लाया जाए।

[फा. सं. पी-45018/28/2000-सीसी]

एस० विजयराघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2002

G.S.R. 843(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with clause 3(F) of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998 and in partial modification of the Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas Number G.S.R. 644(E) dated 12th September, 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (i) of September 13, 2002 the Central Government hereby permits sale of only 5% ethanol blended petrol in the States of Andhra Pradesh, Maharashtra, Punjab and Uttar Pradesh starting in phased manner from the first January, 2003 and covering of the entire area of the said States by the 30th June, 2003.

The Central Government further permits to cover the entire States of Tamil Nadu, Goa, Haryana, Gujarat and Karnataka and Union Territories of Chandigarh, Pondicherry, Daman Diu and Dadra Nagar Haveli with sale of only 5% ethanol blended petrol by the 30th June, 2003.

[F. No. P-45018/28/2000-CC]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

3887 GI/2002

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 2003/आषाढ़ 6, 1925

No. 301] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 2003/ASADHA 6, 1925

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2003

सा.का.नि. 519(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 1998 के खण्ड 3(च) के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 843(अ) तारीख 26 दिसम्बर, 2002 का, जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 27 दिसम्बर, 2002 में प्रकाशित की गई थी, आंशिक संशोधन करते हुए, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश तथा चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्रों में 30 सितम्बर, 2003 तक केवल 5% इथानोल संमिश्रित पेट्रोल के विक्रय की अनुज्ञा देती है।

[फा. सं. पी.-45018/28/2002-सी सी]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2003

G.S.R. 519(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with clause 3(F) of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998 and in partial modification of the notification number G.S.R. 843(E), dated 26th December, 2002 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II Section 3 Sub-Section (i) of 27th December, 2002, the Central Government hereby permits sale of only 5% ethanol-blended petrol by 30th September, 2003 throughout the territories of Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh and the Union Territories of Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Pondicherry.

[F. No. P-45018/28/2002-CC]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

1801 GI/2003

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰–33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 477] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2003/आश्विन 8, 1925

No. 477] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2003/ASVINA 8, 1925

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2003

सा.का.नि. 778(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 1998 के खण्ड 3(च) के साथ पाठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 519(अ) तारीख 27 जून, 2003 का, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 27 जून, 2003 में प्रकाशित की गई थी, आंशिक उपान्तरण करते हुए, गुजरात राज्य और दमन और दीव में 31 अक्तूबर, 2003 तक, कर्नाटक राज्य में 30 नवम्बर, 2003 तक और आंध्र प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2003 तक केवल 5% एथेनोल समिश्रित पेट्रोल के विक्रय की अनुज्ञा देती है और तमिलनाडु राज्य, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में उक्त विक्रय को आस्थगन में रखती है।

[फा. सं. पी-45018/28/2002-सी.सी.]

ए.के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2003

G.S.R. 778(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), read with clause (3F) of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998, and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas Number G.S.R. 519(E), dated the 27th June, 2003, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary dated the 27th June, 2003, the Central Government hereby permits the sale of only 5% ethanolblended petrol in the State of Gujarat and UT of Daman & Diu by the 31st October, 2003, in the State of Karnataka by 30th November, 2003 and in the State of Andhra Pradesh by the 31st December, 2003 and keeps in abeyance the said sale in the State of Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry.

[F. No. P-45018/28/2002-CC]

A.K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

2825 GI/2003

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2004/फाल्गुन 8, 1925

No. 100] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2004/PHALGUNA 8, 1925

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2004

सा.का.नि. 146(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 1990 के खण्ड (3च) के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 39(अ) तारीख 1 जनवरी, 2004 का, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 9 जनवरी, 2004 में प्रकाशित की गई थी, आंशिक उपान्तरण करते हुए इथानोल समिश्रित पेट्रोल के विक्रय कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश के चित्तूर और नेल्लौर जिलों, तमिलनाडु राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में अगले आदेशों तक आस्थगन में रखने का निदेश देती है।

[फा. सं. पी.-45018/28/2002-सी. सी.]

एम. एस. श्रीनिवासन, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2004

G.S.R. 146 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), read with clause (3F) of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998, and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas Number S.O. 39(E) dated the 1st January, 2004, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary dated the 9th January, 2004, the Central Government directs that the programme of sale of ethanol blended petrol may be kept in abeyance in the Chittore and Nellore districts of Andhra Pradesh, the State of Tamil Nadu and the Union Territory of Pondicherry till further orders.

[F. No. P-45018/28/2002-CC]

M. S. SRINIVASAN, Addl. Secy.

659 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 22, 2004/वैशाख 2, 1926
No. 398] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 22, 2004/VAISAKHA 2, 1926

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2004

का.आ. 521(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 1998 के खण्ड 3च के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 46(अ) तारीख 1 जनवरी, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "तथा 1 मार्च, 2004 से मध्य प्रदेश राज्य में" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. पी-45018/20/2002-सीसी]
ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2004

S.O. 521(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), read with clause 3F of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number G.S.R. 46(E), dated the 1st January, 2004 namely :—

In the said notification, the words "and on and from the first day of March, 2004 in the State of Madhya Pradesh" shall be omitted.

[F. No. P-45018/20/2002-CC]
A. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

1316 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 399] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 23, 2004/वैशाख 3, 1926
No. 399] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 23, 2004/VAISAKHA 3, 1926

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2004

का.आ. 522(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 1998 के खण्ड 3च के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 27 फरवरी, 2004 में भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 146(अ), तारीख 30-1-2004 का आंशिक उपांतरण करते हुए, यह निदेश देती है कि इथानोल सम्मिश्रित पैट्रोल के विक्रय कार्यक्रम को तमिलनाडु में निम्नलिखित नौ जिलों में 14 अप्रैल, 2004 से प्रारम्भ कर 14 जुलाई, 2004 तक चरणबद्ध रीति में क्रियान्वित किया जाएगा।

कोयम्बटूर	तिरुनेलवेली
डिन्डिगुल	रामनाथपुरम
इरोडे	विरुधुनगर
नीलगिरी	तूतिकोरिन
	कन्याकुमारी

केन्द्रीय सरकार आगे निदेश देती है कि 15 जुलाई, 2004 से इन उपरोक्त जिलों में इथानोल सम्मिश्रित पेट्रोल का विक्रय कार्यक्रम पूर्णतः क्रियान्वित किया जाएगा।

[फा. सं. पी-45018/20/2002-सी.सी]

ए.के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2004

S.O. 522(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), read with clause 3F of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998 and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas G.S.R. No. 146(E), dated 30-1-2004, published in Part-II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India (Extraordinary), dated the 27th February, 2004, the Central Government directs that the programme of sale of ethanol blended petrol be implemented in the following nine districts of Tamil Nadu in phased manner, starting from 14th April, 2004 and stretching up to 14th July, 2004.

Coimbatore	Tirunelveli
Dundigul	Ramnathpuram
Erode	Virudhunagar
Nilgiri	Tuticorin
	Kanyakumari

The Central Government further directs that from 15th July, 2004 the programme of sale of ethanol blended petrol be fully implemented in these aforesaid districts.

[F. No. P-45018/20/2002-CC]

A. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 20, 2006/भाद्र 29, 1928
No. 450] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 2006/BHADRA 29, 1928

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 580(अ).—मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति और वितरण का विनियमन तथा कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 के खण्ड 6 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 27 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 705(अ) का अधिक्रमण करते हुए, इस अधिसूचना के अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा न किए गए कार्यों को छोड़कर केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अध्यधीन तेल विपणन कंपनियाँ भारतीय मानक ब्यूरो की विशिष्टताओं के अनुरूप 5 प्रतिशत एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री निम्नलिखित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में करेंगी :–

क्रम सं.	राज्य
1.	आंध्र प्रदेश
2.	बिहार
3.	छत्तीसगढ़
4.	दिल्ली
5.	गोवा
6.	गुजरात
7.	हरियाणा
8.	हिमाचल प्रदेश
9.	झारखण्ड
10.	कर्नाटक
11.	केरल
12.	महाराष्ट्र
13.	मध्य प्रदेश
14.	उड़ीसा
15.	पंजाब
16.	राजस्थान
17.	तमिलनाडु
18.	उत्तर प्रदेश
19.	उत्तरांचल
20.	पश्चिम बंगाल

क्रम सं.	केन्द्र शासित राज्य	क्रम सं.	केन्द्र शासित राज्य
1.	दमन और दीव	3.	चंडीगढ़
2.	दादरा और नगर हवेली	4.	पांडिचेरी

2. यह अधिसूचना 1-11-2006 से प्रभावी होगी ।

3. केन्द्र सरकार स्वत: अथवा उसे भेजे गए किसी संदर्भ पर तथ्यों के विधिवत् विचार-विमर्श के बाद, एक आदेश द्वारा क्षेत्रों और आपूर्ति किए जाने वाले एथेनोल मिश्रित पेट्रोल में एथेनोल के प्रतिशत में संशोधन कर सकती है और उसके लिए अवधि विनिर्दिष्ट कर सकती है ।

[फा. सं. पी-45018/20/2002-सी सी (खण्ड VIII)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2006

G.S.R. 580(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), read with clause 6 of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices), Order, 2005, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas number G.S.R. 705(E), dated the 27th October, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that subject to commercial viability, the oil marketing companies shall sell five per cent ethanol-blended-petrol, as per Bureau of Indian Standards specifications, in the following States and Union Territories, namely :—

Sl. No.	States	Sl. No.	States
1.	Andhra Pradesh	11.	Kerala
2.	Bihar	12.	Maharashtra
3.	Chhatisgarh	13.	Madhya Pradesh
4.	Delhi	14.	Orissa
5.	Goa	15.	Punjab
6.	Gujarat	16.	Rajasthan
7.	Haryana	17.	Tamil Nadu
8.	Himachal Pradesh	18.	Uttar Pradesh
9.	Jharkhand	19.	Uttaranchal
10.	Karnataka	20.	West Bengal

Sl. No.	Union Territories	Sl. No.	Union Territories
1.	Daman and Diu	3.	Chandigarh
2.	Dadra and Nagar Haveli	4.	Pondicherry

2. This notification shall come into force on 1st November, 2006.

3. The Central Government may, *suo motu,* or on a reference made to it, after due consideration of facts, by an order, modify the areas, and the percentage of ethanol in the ethanol-blended-petrol that may be supplied, and specify the period for the same.

[F. No. P-45018/20/2002-CC (Vol. VIII)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.